<u>न्यायालय जनपद न्यायाधीश, बहराइच।</u>

प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या–22/2026

रामेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा––बनाम––अर्जुन।

CNR NO.UPBH010005062026

<u>30.03.2026</u>

3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी पर तामीला पर्याप्त माना गया। सुना एवं अभिलेखों का सम्यक् अवलोकन किया।

3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र आवेदक रामेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा की तरफ से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि सामान्य वाद संख्या–1123/2013, रामेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा बनाम अर्जुन आदि, न्यायालय सिविल जज(अवर खण्ड) कैसरगंज, बहराइच में विचाराधीन है। सामान्य वाद संख्या–153/2008, रामेश्वर प्रसाद बनाम रामचन्दर आदि, न्यायालय अपर सिविल जज(अवर खण्ड)/जे०एम०–4, बहराइच में विचाराधीन है। उक्त दोनों वाद एक ही विवाद व एक ही सम्पत्ति से सम्बन्धित हैं। दोनों वादों में पक्षकार समान हैं। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना की गई कि सामान्य वाद संख्या–1123/2013, रामेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा बनाम अर्जुन आदि को न्यायालय सिविल जज(अवर खण्ड) कैसरगंज, बहराइच से न्यायालय अपर सिविल जज(अवर खण्ड)/जे०एम०–4, बहराइच में स्थानान्तरित किया जाये। अन्तरण प्रार्थना–पत्र स्वयं के शपथ–पत्र 4–ग से समर्थित है।

विपक्षी की पत्नी पर तामीला पर्याप्त होने के बावजूद भी उसकी ओर से न ही कोई उपस्थित आया और न ही अन्तरण प्रार्थना–पत्र पर कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई।

सम्बन्धित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण की उपलब्ध आख्यानुसार उक्त वाद उक्त न्यायालयों में विचाराधीन हैं।

आवेदक द्वारा अन्तरण प्रार्थना–पत्र दोनों मुकदमे एक ही विवाद व सम्पत्ति से सम्बन्धित होने एवं पक्षकार लगभग समान होने के आधार पर उक्त दोनों वादों को एक ही न्यायालय अपर सिविल जज(अवर खण्ड)/जे०एम०–4, बहराइच में स्थानान्तरित किये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी की ओर से उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसकी ओर से कोई आपत्ति ही दाखिल की गई है। न्याय निर्णयन में सुविधा के दृष्टिकोण से उक्त दोनों वादों को एक ही न्ययाालय में स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। सामान्य वाद संख्या–1123/2013, रामेश्वर प्रसाद विश्वकर्मा बनाम अर्जुन आदि को न्यायालय सिविल जज(अवर खण्ड) कैसरगंज, बहराइच से विधि अनुकूल निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सिविल जज(अवर खण्ड)/जे०एम०–4, बहराइच में स्थानान्तरित किया जाता है।

सम्बन्धित न्यायालय को यह भी निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारों को सूचना प्रेषित किये जाने के उपरान्त ही इस वाद में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(राजेश कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश, बहराइच।
Id No.–UP2017

दिनाँकः 30.03.2026

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.03.30 17:51:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court